# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

## भंवरसिंह बनाम उपेन्द्र कुमार वगैरह

## किस्म मुकदमाः—225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## प्रकरण संख्या 53/2026 (भिनाय)

O.D
6/5/26

| | | |
|---|---|---|
| | श्री गिरिश पारीक | |
| 03.02.2026 | भंवरसिंह बनाम उपेन्द्र कुमार वगैरह (2026/53)<br>यह अपील श्री गिरिश पारीक एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 73/2025 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 19.03.2026 को पेश हो।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>अजमेर | |
| 19.03.2026 | पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाकर मिसल दिनांक 28.04.2026 को पेश हो।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>अजमेर | कापी R-1 639 27/4/26 |
| 28.4.26 | पत्रावली पेश हुई । वकील अपीलांट एवं रेस्पो. उपस्थित ।<br>राजस्व बार संघ / जिला बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया । मिसल पूर्वानुसार वास्ते दिनांक 6/5/26 को पेश हो ।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>अजमेर | |
| 6/5/26 | पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित नहीं हुए ना ही अपीलांट उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को कई बार हांक-हक आवाजे दिलाई गई किन्तु उपस्थित नहीं हुए। अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी - अदम पैरवी में खारिज की जाती है।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>अजमेर | |

RAA

Scanned with CamScanner

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अपील टी.ए.संख्या 53 /2026 जिला अजमेर

2026/53

1. भंवरसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति राजपूत निवासी झडवासा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. फूलसिंह पुत्र गोपीसिंह जाति रावत निवासी महासिंहपुरा(वान्दनवाडा) तहसील भिनाय जिला अजमेर।

.......अपीलांटस

वनाम

1. उपेन्द्र कुमार पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी वान्दनवाडा तहसील भिनाय जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तह0 भिनाय जिला अजमेर।

.......रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय दिनांक 29.09.2025 जो कि प्रार्थना पत्र स्थायी निषेघाज्ञा संख्या 73/2025 उनवानी उपेन्द्र कुमार बनाम भंवरसिंह में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलांटस की ओर से निम्न निवेदन हैं :-

अ- यह कि अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं0 01 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 एवं 209 का साथ ही धारा 212 स्थायी निषेघाज्ञा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नं0 3202 रकबा 1.33 है0 चाही2, खसरा नं0 3203 रकबा 0.06 है0 गैर मुमकिन मेड, खसरा नं0 3204 रकबा 0.01 गैर मुमकिन प्याउ कुल किता 03 रकबा 1.3000 है0 ग्राम वान्दनवाडा तहसील भिनाय जिला अजमेर में अवस्थित है। जिस पर रेस्पोडेन्ट/वादी अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है एवं उक्त विवादित आराजी वादी के अलावा अन्य सहखातेदारों की है।

Scanned with CamScanner